स्टैफ्को गैस सर्विस
उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0,
561/35 सिन्धु नगर, लखनऊ।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में घरेलू कुकिंग गैस (एल0पी0जी0) सिलेण्डरों की होम डिलीवरी हेतु ठेकेदार की नियुक्ति हेतु पंजीयन सूचना।

जनपद लखनऊ में उक्त संचालित गैस सर्विस के उपभोक्ताओ को शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में होम डिलीवरी योजना के अन्तर्गत गैस की आपूर्ति के लिये ठेकेदारों का निविदा के माध्यम से चयन किये जाने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म का पंजीयन किया जाना है। पंजीकृत फर्म/व्यक्ति ही निविदा की कार्यवाही में भाग ले संकेगे, पंजीयन शर्तें निम्नवत् हैं :–

1. इच्छुक फर्म/व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में (अवकाशों को छोड़कर) रू0 500.00 (रूपये पाँच सौ मात्र) एवं 18% जी.एस.टी. अतिरिक्त जमा कर आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं तथा दिनांक 28.03.2018 अपरान्ह 5:00 बजे तक उक्त कार्यालय में कैशियर के पास जमा कर सकते हैं।
2. फार्म के साथ रू0 2,000.00 (रूपये दो हजार मात्र) नकद/बैंक ड्राफ्ट निगम के पक्ष में स्टैफ्को गैस सर्विस, लखनऊ में पंजीयन शुल्क जमा करना होगा।
3.
4. फॉर्म के साथ अद्यावधिक हैसियत प्रमाण–पत्र (चल–अचल सम्पत्ति) रूपये दस लाख का होना आवश्यक है, संलग्न करना होगा।
5. फॉर्म के साथ स्थायी/अस्थायी निवास प्रमाण–पत्र राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित तथा पासपोर्ट साईज की नवीनतम रंगीन फोटो (दो) संलग्न करना होगा।
6. इच्छुक फर्म/व्यक्ति के पास 15 न्यूनतम डिलीवरी मैन/हॉकर होने चाहिये। एजेंसी के वर्तमान गैस कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि होने पर डिलीवरी मैनों की संख्या में भी वृद्धि करनी होगी।
7. इच्छुक फर्म/व्यक्ति के पास अपना अथवा किराये के कम से कम 03 भार वाहक टैम्पो (डाला) व 3 रिक्शा (ठेली) रखने होंगे। टैम्पो का रजिस्ट्रेशन आर0टी0ओ0 कार्यालय में होना चाहिये तथा वाहन से सम्बन्धित बीमा व अन्य समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए वाहनों को चालू हालत में अद्यावधिक रखना होगा।
8. इच्छुक फर्म/व्यक्ति को टेण्डर स्वीकृति की दशा में स्वयं अपने तथा डिलीवरी मैन/हॉकर के सम्बन्ध में पुलिस वैरीफिकेशन कराकर चाल–चलन का प्रमाण–पत्र जमा करना होगा। इस हेतु इन सभी के नाम, पता, फोटो, आधार कार्ड एवं यथा सम्भव मोबाईल फोन नम्बर स्टैफ्को गैस सर्विस कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

9. इच्छुक फर्म/व्यक्ति को डिलीवरी कार्य हेतु तैनात किये जाने वाले कर्मचारियों को श्रम विभाग के नियमानुसार समस्त आर्थिक/सामाजिक नियमों की प्रतिपूर्ति करनी होगी। फर्म/व्यक्ति अथवा उसके कर्मचारियों का निगम की सेवाओं/रोजगार में कोई भी लियन नहीं होगा।
10. डिलीवरी मैन द्वारा आर्थिक/नैतिक अथवा किसी भी प्रकार का अपराध किये जाने की दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये सम्बन्धित ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
11. गोदाम स्वामी स्वयं अथवा गोदाम स्वामी के परिवारजन तथा निकटतम सम्बन्धी अथवा भागीदार, ऐसे ठेकेदार जिनका पूर्व में गैस एजेन्सी में पंजीकरण निरस्त हुआ हो अथवा निलम्बित चल रहा हो अथवा ब्लैक लिस्ट हुआ हो अथवा गैस एजेन्सी का कार्य करते समय किसी कालाबाजारी अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया हो अथवा उसने ठेके को किसी अन्य को सबलेट किया हो तथा ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिकनियम 1955 के उपबन्धों के अधीन सिद्ध दोष हो अथवा अधिवक्ता उक्त पंजीकरण के लिए अर्ह नहीं होंगे।
12. पंजीकरण अर्हता की निर्धारित शर्तों के सभी बिन्दुओं पर शपथ–पत्र के माध्यम से व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा, जिसके गलत होने पर अथवा प्रस्तुत न होने पर पंजीकरण हेतु अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
13. निविदा आमन्त्रित किये जाने पर अन्य शर्तों की प्रतिपूर्ति भी करनी होगी।
14. पंजीयन के उपरान्त ई–टेण्डर डाले जाने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म का डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है।

प्रबन्धक
स्टैफ्को गैस सर्विस,
लखनऊ